न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी0ए0 40 सन 2022
पंजीयन दिनांक :- 04.08.2022

1. भंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
2. हरिसिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
3. जुगराजसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
4. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
5. भरतसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
6. लोकेन्दसिंह पुत्र तेज सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ

-अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. जयराज सिंह पुत्र छत्रसिंह राजपूत निवासी सी-1, बसन्त बिहार, आदित्य नगर, मोडका गांव, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2. रितेश कंवर पत्नी अमरेन्द्र राजपूत निवासी सी-1, बसन्त बिहार, आदित्य नगर, मोडका गांव, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम, 1955 विरुद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा बमिसल क्रमांक प्रकरण संख्या 21/2022 आदेश दिनांक 19.07.2022

उपस्थित- 1. खुमराज कुमावत- अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. छोगालाल जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाट्गण विपक्षीगण ने इस न्यायालय में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा सेमलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 21 में दर्ज कृषि आराजी नम्बर 273,274,278 कुल किता 3 कुल रकबा 6.10 हैक्टर एवं मौजा सेमलिया की खाता संख्या 116 में दर्ज कृषि आराजी नम्बर 267,268,269,270,271,272 कुल किता 6 कुल रकबा 6.48 हैक्टर रेस्पोडेंट संख्या 02 के नाम पर दर्ज है। खाता संख्या 21 व 116 पर बैंक से ऋण ले रखा है। जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण की खातेदारी की मानते हुए अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण विपक्षीगण ने इस न्यायालय में अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की।

अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता अपील की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण के पिता व ससुर छत्रसिंह ने अपीलांट्गण के पिता प्रतापसिंह डूंगरसिंह, तेजसिंह व भंवरसिंह को उक्त आराजियात 80,000 रू0 में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से अपीलांट्गण के पिता व उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट्गण उक्त कृषि आराजीयात अपीलांट्गण विपक्षीगण के पिता व उनके स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपीलांट्गण विपक्षीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। बिना कब्जे के रेस्पोर्डेट्गण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के रेस्पोर्डेट्गण प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोर्डेट्गण प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने बिना किसी आधार के रेस्पोर्डेट्गण प्रार्थीगण की कृषि

आराजीयात पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण व उनके पिता को रेस्पोडेंट्गण प्रार्थीगण के पिता व ससुर द्वारा कभी भी उनकी कृषि आराजीयात का विक्रय नही किया गया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने मौका देख कर रेस्पोडेंट्गण प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत कब्जा किया है व उक्त कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द व स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है। इन्ही तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट्गण प्रार्थीगण को खातेदार होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। मूल वाद विचारण न्यायालय में जेरकार है जिससे अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की विधिपूर्ण बहस व न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अतिक्रमीयों के विरुद्ध स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने अपनी बहस के दौरान यह तथ्य इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट्गण विपक्षीगण के पिता ने अपीलार्थीगण विपक्षीगण के पिता को उक्त कृषि आराजीयात विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय व इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है जिससे यह तथ्य साबित हो कि अपीलार्थीगण विपक्षीगण का अवैध कब्जा नही होकर वैध कब्जा है जिससे अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के प्रकरण संख्या 21/2022 प्रार्थना-पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 19.07.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को पालना हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ